

मध्य प्रदेश कालिकाता वर्ग (प्राचीन दर) के सभी नियम O/o. the Pr. Accountant General (A&E)	
INWARD	
१५ मई २०१७	
No.....	
आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना Andhra Pradesh & Telangana	



25

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं अकड़ियारी) द्वितीय, लेखा भवन झाँसी रोड, ग्वालियर (म.प्र.) - 474002

Office of the Accountant General (A&E)-II Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior (M.P.) - 474002

पत्र क्रमांक / Pension/General/SS/ 384 TO - 424 - दिनांक :- 31- 04- 2017.

To,

The Principal/Accountant General (A&E),
Hyderabad - 500 004.

Sub:- Regarding Dearness Relief to MP Govt. Pensioners/Family Pensioners. Revised
rate admissible @ 132% w.e.f. 01-01-2017

Ref.: - Govt. of M.P. Finance Department order No. F-9-6/2016/Rule/iv/
dated:- 01 March, 2017

Sir,

I am to enclosed herewith the above Government Order, revising rate of Dearness Relief @ 132% w.e.f. 01-01-2017 Payble to the Madhya Pradesh Government Pensioner/Family Pensioners. I request that necessary arrangement may please be made to pay the revised rate of Dearness Relief as specified in the order.

If You need spare Copies of the above order please upload the MP. Govt. Finance Department, Bhopal Website <http://www.Finance.mp.Gov.in>.

Enclosed:- As above

Yours Faithfully


Accounts Officer / Pension

OCP

O/o Pr. Accountant General (A&E)
AP & Telangana, Hyderabad
12-MAY-17



473120



(१७) ✓

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
बल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 9-6/2016/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 01 मार्च, 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
 अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
 समस्त संभागीय आयुक्त
 समस्त विभागाध्यक्ष
 समस्त जिलाध्यक्ष
 मध्यप्रदेश ।

विषय- मध्यप्रदेश राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर 7% महंगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में ।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-1/2016/नियम/चार दिनांक 21 जून 2016 द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 125% की दर से मंहगाई राहत दी जा रही है।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के पेंशनर/परिवार पेंशनरों को निम्नानुसार दर से मंहगाई राहत दी जाये :-

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत की दर प्रतिमाह
दिनांक 01-12-2016 से (माह दिसम्बर, 2016 की पेंशन/परिवार पेंशन जो जनवरी, 2017 में देय होगी)	पेंशन/परिवार पेंशन का 132%

80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी

3/ माह जुलाई, 2016 से नवम्बर, 2016 तक की अवधि की देय राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 में किया जाएगा, जिसके संबंध में पृथक से आदेश जारी किए जावेंगे ।

4/ उपरोक्त मंहगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी । सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्भा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस मंहगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त मंहगाई राहत वित्त विभाग के

ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/43/76/नियम-2/चार, दिनांक 5-10-76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी। ऐसे मामलों में जहां पेशन/परिवार पेशन भोगी राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त / पुनर्नियुक्त है, वहां पेशन पर महँगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। कोई व्यक्ति यदि उसके पति / पत्नि की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकंपा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति/पत्नि की मृत्यु के कारण देय परिवार पेशन पर उसे महँगाई राहत की पात्रता रखा गया है तो पति/पत्नि की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर होगी। यदि किसी व्यक्ति को उसके पति / पत्नि की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर होगी। सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेशन पर महँगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्र. एफ.बी.6/10/76/नियम-2/चार, दिनांक 27-7-76 इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापन एफ.बी.6/10/77/ नि-2/चार, दिनांक 2-5-77 एवं ज्ञापन क्र. एफ 12-5/2007/नियम/चार दिनांक 19 अप्रैल, 2007 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

5/ ऐसे पेशनसं जिन्होंने अपनी पेशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें महँगाई राहत उनकी मूल पेशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेशन) पर देय होगी।

6/ यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लागू होगे, जिन्होंने उपक्रमों/स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9/9/2006/नियम/चार, दिनांक 5-1-2007 के अंतर्गत पेशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं।

7/ महँगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा।

8/ राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों /उप कोषालय अधिकारियों/पेशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृ.क्र. ई-4/1-83/नि-5/चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार मध्यप्रदेश कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेशनरों का उपरोक्त अनुसार स्वीकृत महँगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें। भुगतान उपरांत पूर्वानुसार महालेखाकार, मध्यप्रदेश से प्राधिकार प्राप्त होने पर महँगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाये। यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मिलिन्द वाइकर)

अपर सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग

(3)

✓

Government of Madhya Pradesh
 Finance Department
 Mantralaya - Bhopal

No. -F 9- 6 /2016/Rule/IV

Bhopal, dated 01 March, 2017

To,

All Department of Government
 The President of Board of Revenue, Gwalior,
 All Commissioners of Divisions,
 All Heads of Department,
 All Collectors,
 Madhya Pradesh

Sub - Sanction of 7% dearness relief on the Pension of the Pensioners of the State of Madhya Pradesh.

The State Government had sanctioned 125% dearness relief w.e.f. 01-01-2016 on pension/family pension to their pensioners/family pensioners vide Finance Department Memo No. F 9-1/2016 Rule/IV dated 21 jun. 2016.

2/ The State Government has decided that the dearness relief admissible to pensioners should be sanctioned as given below:

Period	Rate of Dearness relief per month
w.e.f. 01-12-2016 (Pension/family pension for the month of December) 2016 paid in January, 2017)	132 % of Pension/family pension

The additional pension payable to the pensioner's aged 80 years or above shall also qualify for dearness relief.

3/ The arrears for the period from July, 2016 to November, 2016 will be paid in the Financial year 2017-18. The orders in this context will be issued separately.

4/ The above dearness relief shall be payable on the Superannuation, Retiring, Invalid and Compensation Pension. This dearness relief shall also be payable on the Compassionate Allowance sanctioned to the employees discharged or removed from service and the said dearness relief shall also be payable to persons receiving family pension and extra ordinary pension under the restrictions contained in the Finance Department's Memo No.F.B.6/43/76/R-II/IV dated 5.10.76. The dearness relief on the pension

(4) ✓

/family pension shall not be payable in the cases where the pensioners/family pensioners are appointed/re-appointed under the State Government or autonomous institutions. This relief on family pension shall be payable in cases where a person at the time of the death of the spouse was in service and was not appointed on compassionate grounds. This relief on family pension shall not be payable in cases where a person on account of the death of the spouse has been appointed on compassionate grounds. In this connection attention is invited to the provisions contained in Finance Department's Memo No.F.B.6/10/76/R-II/IV, dated 27.7.76 read with Memo No. No.F.B.6/10/77/R-II/IV, dated 2.5.77 and Memo No. F-12-5/2007/Rule/IV dated 19.4.2007


5/ Pensioners, who have commuted a part of their pension, shall be paid the dearness relief on their original pension (pension before commutation).

6/ This order shall be applicable in respect of State Government employees who had drawn lump sum amount on absorption in PSU/Autonomous body/Board /Corporation etc and have become eligible to restoration of 1/3rd commuted portion of pension in terms of this Department's memo No. F 9/9/2006/Rule/IV dated 5-1-2007.

7/ Fraction of rupee of the amount to be paid as dearness relief shall be rounded off to the next rupee.

8/ All Treasury Officers/Sub Treasury Officers/ Pension Disbursing Officers are directed to make payment of the above sanctioned dearness relief to State Government Pensioners early, keeping in view the amended provisions of S.R.347 of the M.P.T.C. Volume-1, issued vide Finance Department's endorsement No.E.-4/1/83/R-V/IV, dated 29th January, 1983. After payment of dearness relief the same may be got checked from the usual payment authority received from the Accountant General, Madhya Pradesh. If some inaccuracy/discrepancy comes to the notice, the same may be adjusted in the payment on next month.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh


(Milind Waikar)
Additional Secretary,
Government of Madhya Pradesh
Finance Department

१. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल।
२. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल।
३. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
४. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
५. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर।
६. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल।
७. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
८. मुख्य निर्वाचन, पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
९. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल।
१०. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर।
११. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर (१०० प्रतियां)।
१२. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल।
१३. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
१४. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
१५. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन, विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा /अभिलेख/मुख्यलेखाधिकारी) मंत्रालय भोपाल।
१६. मुख्य सचिव के स्टाफ आ हीसर मंत्रालय, भोपाल।
१७. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ।
१८. संचालक, पैंशन, २६ विसंन भवन मण्डी बॉर्ड परिसर, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल ४६२०१।
१९. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पैंशन मध्यप्रदेश।
२०. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
२१. सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
२२. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नर्मेण्ट एण्ड बैंक एकाउण्ट्स डिपार्टमेण्ट्स, सी-७, बान्द्रा-कुला काप्लेक्स, पोस्ट बैग नं. ८१४३, बान्द्रा (पूर्व) मुंबई- ४०००५१, (१०० प्रतियां)
२३. सहायक मुख्य प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शासकीय लेन-देन, लोकल हेड ऑफिस, पोस्ट बैग नं.-६, मैदामिल के सामने, भोपाल -४६२०१२, (१० प्रतियां)
२४. उप महाप्रबंधक, वित्त एवं लेखा, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, मुख्यालय, ५-यशवंत निवास रोड, इंदौर -४५२००१, (१० प्रतियां)
२५. जोनल मैनेजर, बैंक ऑफ इण्डिया, एम.पी.जो, बैंक ऑफ इण्डिया हाऊस, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल- ४६२०११, (३०० प्रतियां)
२६. चीफ मैनेजर, सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जोनल ऑफिस, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल- ४६२०११, (२०० प्रतियां)
२७. उप मुख्य प्रबंधक, , सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जोनल ऑफिस, वार्षिक मार्केट, प्रथम तल, सी-विंग, जी.इ.रोड, रायपुर-४९२००१, (१०० प्रतियां)
२८. मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, जोनल ऑफिस, अरेरा हिल्स जेल रोड, भोपाल-४६२०११ (७५ प्रतियां)
२९. चीफ मैनेजर, इलाहाबाद बैंक, ऑफिस कॉप्लेक्स, गौतम नगर, भोपाल-४६२०११, (३०० प्रतियां)
३०. सहायक मुख्य प्रबंधक, देना बैंक, रीजनल ऑफिस, १०७, प्रथम तल, वैरसिया रोड, भोपाल-४६२००१, (२०० प्रतियां)
३१. सहायक मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र , रीजनल आफिस, १/१४ जेल रोड, एडमिनिस्ट्रेटिव काप्लेक्स, अरेरा हिल्स, भोपाल-४६२०११, (१५० प्रतियां)
३२. सहायक मुख्य प्रबंधक, यन्नियन बैंक ऑफ इण्डिया, आरसीसी१/४ जेल रोड एडमिनिस्ट्रेटिव काप्लेक्स प्रथम तल अरेरा हिल्स भोपाल -४६२०११, (४५ प्रतियां)
३३. सहायक मुख्य प्रबंधक, यूनो बैंक, ई-५, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-४६२०१६, (१५० प्रतियां)
३४. मुख्य प्रबंधक, सेंट्रल कम्प्यूटर प्रोसेसिंग सेंटर,गोविन्दपुरा, भोपाल -४६२०२४ (१० प्रतियां)
३५. क्षेत्रीय प्रबंधक,पंजाब नेशनल बैंक,सर्कल आफिस,२० स्नेहनगर,इंदौर-४५२००१(६५ प्रतियां)
३६. क्षेत्रीय प्रबंधक,पंजाब नेशनल बैंक,सर्कल आफिस,१२२७ नेपीयर टाऊन,जबलपुर-४८२००१(६५ प्रतियां)
३७. क्षेत्रीय प्रबंधक,पंजाब नेशनल बैंक,सर्कल आफिस,मदीना मंजिल,कचहरी चौक,जेलरोड,रायपुर- ४९२००१(६५प्रतियां)

38. क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, 12-12ए, अनूपनगर, एल.आई.सी.घिलिंडिंग, एम.आई.जी.चौराहा, इन्दौर-452001 (55 प्रतियां)
39. क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुनानक मार्केट ज्योति टार्कीज के पास, नंपियर टाऊन जबलपुर-482001 (55 प्रतियां)
40. क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, सिरमोर चौराहा, इलाहबाद रोड, पोस्ट बाक्स नम्बर-10 , रीवा-486001 (60 प्रतियां)
41. क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, पोस्ट बाक्स नम्बर 23 महावीर काम्पलेक्स, के.के.रोड, मोथपाड़ा, रायपुर (छत्तीसगढ़) (40 प्रतियां)
- की ओर वित्त विभाग के पृ.क्र.इ-4-1/१/१-२/चार, दिनांक 22.11.82 के अनुद्धम में अन्वेषित कर निवेदन है कि वे कृपया अपने अधीनस्थ सभी बैंक शाखाओं को इस आदेश की प्रति मय सहपत्र के इस निर्देश के साथ अप्रेयित करें ताकि राज्य शासन द्वारा स्वीकार की गई राहत राशि का भुगतान सिविल पेंशनरों को यथासंभव शीघ्र हो सके (क्रमांक 23 से 41 हेतु) ।
42. वित्त सचिव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गोविन्दगढ़, गुजरात-382 010
43. वित्त सचिव, आंध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैदराबाद-500 001
44. वित्त सचिव, असम शासन, शिलांग, 793 001
45. वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना, 800 001
46. वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, राँची, 834 002
47. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरुवनंतपुरम, 695 039
48. वित्त सचिव, तमிலनாடு शासन, मंत्रालय, தினை, 600 018
49. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 400 020
50. वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बैतोर, 560 001
51. वित्त सचिव, उडिसा शासन, मंत्रालय, भुबनेश्वर, 751 001
52. वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़, 160 017
53. वित्त सचिव, हरयाणा शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़, 160 017
54. वित्त सचिव, हिमाचल-प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला, 171 003
55. वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर, 302 001
56. वित्त सचिव, उत्तर-प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ, 226 001
57. वित्त सचिव, पश्चिम-बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता, 700 001
58. वित्त सचिव, जम्मू एवं काश्मीर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर, 190 001
59. वित्त सचिव, मणीपुर शासन, मंत्रालय, इमफाल, 795 001
60. वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अग्रतला, 799 001
61. वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, नोहिमा, 797 001
62. वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली, 110 001
63. वित्त सचिव, गोवा-दिव्य एवं दमण शासन, मंत्रालय, पणजी गोवा, 403 101
64. वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर, 492 001
65. वित्त विभाग, सिक्किम शासन, मंत्रालय, गान्धीनगर, 717 101
66. वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, नाहाड़-248 001 (सरल क्रमांक 42 से 66 तक 2 प्रतियां सहित)
67. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) गुजरात, 5 वां मंजिल, सी ब्लाक, बहु मंजिली भवन, लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380 001 (100 प्रतियां)
68. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) गुजरात, राजकोट 360 001 (100 प्रतियां)
69. महालेखाकार-1, (लेखा एवं हक) आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, 500 463 (250 प्रतियां)
70. महालेखाकार-2, (लेखा एवं हक) आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, 500 463 (50 प्रतियां)
71. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) मेघालय मिडोरम, अस्सिनाचल प्रदेश, शिलांग 793 001 (20 प्रतियां)
72. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) मणीपुर, इमफाल 795 001 (20 प्रतियां)
73. प्रथान महालेखाकार,-2, (लेखा एवं हक) बिहार, बिरचंद पटेल मार्ग, पटना 800 001 (75 प्रतियां)
74. प्रथान महालेखाकार,-1, (लेखा एवं हक) झारखण्ड, डोरण्डा पो. रांची 834 002 (35 प्रतियां)

75. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) केरल, पो. व्याक्ष नं. 5607, तिरुवनन्तपुरम 695 039 (240 प्रतियां)
76. महालेखाकार-1, (लेखा एवं हक) तमिलनाडु, चैनई, 600 018 (150 प्रतियां)
77. महालेखाकार-2, (लेखा एवं हक) तमिलनाडु, चैनई, 600 018 (100 प्रतियां)
78. महालेखाकार-1, (लेखा एवं हक) महाराष्ट्र, 101 महार्षि कर्वे रोड ,मुंबई , 400 020 (100 प्रतियां)
79. महालेखाकार-2, (लेखा एवं हक) महाराष्ट्र, सिविल लाइन्स, नागपुर 440001(100 प्रतियां)
80. महालेखाकार-2, (लेखा एवं हक) कर्नाटक, रेसीडेन्सी पार्क रोड, बंगलोर 560 002(150 प्रतियां)
81. महालेखाकार, (लेखा एवं हक)उडिसा, भुवनेश्वर, 751 001 (150 प्रतियां)
82. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) पंजाब, चंडीगढ़, 160 017 (70 प्रतियां)
83. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) हरियाणा, लेखा भवन, प्लाट नं. 4 व 5 सेक्टर, 33 बी चंडीगढ़, 160 047 (60 प्रतियां)
84. वरिष्ठ उप -महालेखाकार, (लेखा एवं हक) हिमाचल प्रदेश, गोट्टन कैसल भवन, शिमला 171 003 (150 प्रतियां)
85. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान, भगवान दास मार्ग, जयपुर 302 001 (200 प्रतियां)
86. महालेखाकार -3, (लेखा एवं हक) उत्तर-प्रदेश, लखनऊ, 226 001 (50 प्रतियां)
87. महालेखाकार -2, (लेखा एवं हक) उत्तर-प्रदेश, इलाहाबाद, 211 001 (200 प्रतियां)
88. महालेखाकार -2, (लेखा एवं हक) पश्चिम-बंगाल, ट्रेजरी बिल्डिंग, कोलकाता 700 001(200 प्रतियां)
89. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) जम्मू एवं काशीमर, अौनिगर, 190 001 (50 प्रतियां)
90. महालेखाकार, ग्रिपुरा, अगरतला, 799 001 (25 प्रतियां)
91. महालेखाकार, नायालैण्ड, कोहिमा 797 001 (50 प्रतियां)
92. वरिष्ठ उप -महालेखाकार, (लेखा एवं हक) सिक्किम, लकार भवन, गान्धोक 717101(20 प्रतियां)
93. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) उत्तराखण्ड, देहरादून 248 001 (200 प्रतियां)
94. संचालक, लेखा (पेंशन शाखा) गोवा दमन द्विव, पो. पणजी 403 101 (15 प्रतियां)
95. वेतन एवं लेखा अधिकारी, अंडमान एवं निकोबार द्विप, पोर्टब्लेयर 744 011 (50 प्रतियां)
96. वेतन एवं लेखा अधिकारी, क्रमांक 5 (पेंशन), तीस हजारी, दिल्ली 110 006 (30 प्रतियां)
97. सहायक मिलीट्री एटेची (पेंशन) भारतीस दृतावास, काठमाण्डू, नेपाल -1 महालेखाकार (लेखा एवं हक)दारी 2)
गवालियर के माध्यम से (10 प्रतियां)।
98. मुख्य नियंत्रक एवं महालेखाकार, भारत सरकार, नई दिल्ली 110 001 महालेखाकार गवालियर के माध्यम से (10)प्रतियां)
99. नियंत्रक लेखा, विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली 110 001 (50 प्रतियां)
100. महालेखाकार (लेखा एवं हक) छत्तीसगढ़, रायपुर 492 001 (200 प्रतियां)
101. संचालक, पेंशन संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर, 492 001 (200 प्रतियां)
102. मध्यप्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग, डी-12 माचना कालोनी ६ नंबर स्टप के पास शिवाजी नगर, भोपाल ।

(अजय चौधरी)

उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

